न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/124/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/224

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री राजेन्द्र चेयरवाल, नि.''टैन्ट विला'' बारलावास, राजगढ (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 07.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.11.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 05.08.2022 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर कस्बा राजगढ स्थित अम्बेडकर मूर्ति व सार्वजनिक मंदिर व कुआ वार्ड नं.8 पर हो रहे पार्षद निधि से निर्माण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री किशनलाल, तुलसीराम वगै0 द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन की विषयवस्तु लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर से संबंधित ना होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी विभाग व अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका राजगढ को अन्तरित किया गया है।
5. उक्त अन्तरण के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन पर किए गए विनिश्चय–पत्र सं. 1544 दिनांकः 22.09.2022 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अन्ततः हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. आरटीआई/2022/718 दिनांकः 11.11.2022, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस पत्र सं. आरटीआई/2022/718 दिनांकः 11.11.2022 के साथ संलग्न पत्र सं. 1615–16 दिनांकः 06.10.22 के माध्यम से प्रकरण में वांछित कार्यवाही उनके नियंत्रणाधीन नहीं होने के कारण अपेक्षित कार्यवाही हेतु अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका राजगढ को लिखा जा चुका है।
8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर द्वारा पूर्व में ही प्रश्नगत आवेदन अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका राजगढ को अन्तरित किया जा चुका है।
9. अस्तु, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है। अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत सूचना आवेदन के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका राजगढ के स्तर पर संपर्क स्थापित करे एवं यथोचित कार्यवाही ना होने पर नियमानुसार उनके अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 14.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(जीतेन्द्रसिंह नरूका)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)